P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -3**

Q1. निम्नलिखित में से किसी एक की व्याख्या उपवादो सहित कीजिये -

(A) क्रेता सावधान का सिद्धान्त ।

(B) कोई भी व्यक्ति अपने हक़ से ऊँचा अंतरित नहीं कर सकता ।

उत्तर -A) क्रेता सावधान का सिद्धान्त- व्यवहार में बहुधा माल के क्रय करते समय यही बात लागू होती है कि क्रेता को माल खरीदते समय पूर्ण सावधान रहना चाहिए। उसे उसके द्वारा खरीदे जाने वाले माल की उचित जाँच करनी चाहिए. उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकार से अपने आपको सन्तुष्ट करने के पश्चात् ही उसे क्रय करना चाहिए। विक्रेता का यह कर्त्तव्य नहीं होता है कि वह अपने माल के दोष को स्वयं ही क्रेता को प्रकट करे। यह तो क्रेता पर ही कार्य भार है कि वह माल की इस प्रकार की उचित जाँच करे कि वह माल के उस जाँच से प्रकट होने वाले प्रत्येक दोष को पकड़ ले। यदि वह माल की उचित जाँच नहीं करता है और बाद में माल खरीदने पर उसमें कोई ऐसा दोष पाता है जो माल की उचित जाँच करने पर मालूम हो सकता था तो ऐसे दोष सम्बन्ध में विक्रेता किसी भी प्रकार दायी न होगा क्योंकि उस दशा में यह माना जायेगा कि वह (क्रेता) माल के खरीदते समय सावधान नहीं था, जबकि उसे सावधान रहना चाहिए था और इस कारण सावधान न रहने की वजह से उसे माल के दोष के सम्बन्ध में हानि को स्वयं ही सहन (bear) करना होगा।

क्रेता की सावधानी का नियम पूर्ण रूप से उसी समय प्रभाव में था जबकि व्यापार अधिक विकसित (developed) नहीं था । वस्तुएँ आमतौर पर बाजार में खुली (open) बिकती थीं। क्रेता के पास पर्याप्त समय होता था और वह अपने प्रयोग (use) और आवश्यकता के अनुसार माल को उचित पाकर ही खरीदता था लेकिन जैसे-जैसे व्यापार और वाणिज्य (trade and commerce) का विकास होता गया तो उसके साथ समय का अभाव बढ़ता गया। माल खुला बिकने के बजाय बन्द पैकेटों और लिफाफों में बिकने लगा। क्रेता अपने समय की कमी के कारण खरीदे जाने बाले माल के सम्बन्ध में विक्रेता के कौशल पर विश्वास करके माल को बिना जाँच ही खरीदने लगा तो क्रेता के सावधानी नियम के अपवादों को बढ़ावा मिला। क्रेता की सावधानी के नियम के अपवाद अग्र प्रकार हैं जो माल विक्रय अधिनियम की धारा में दिए गए है---

(1) यदि माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए चाहिए तथा क्रेता ने वह उद्देश्य विक्रेता को स्पष्ट या गर्भित रूप से बता दिया है तथा क्रेता विक्रेता की कुशलता या बुद्धि पर निर्भर करता है तथा यह विशिष्ट वस्तु विक्रेता के द्वारा बेची जाती है यह एक गर्मित (implled) शर्त होगी कि माल उसी उद्देश्य के लिए सही होगा

(i) क्रेता को किसी विशेष उद्देश्य के लिए माल चाहिए।

(ii) केता ने अपना उद्देश्य विक्रेता को बता दिया है।

(ii) केता माल के लिए विक्रेता के विवेक व बुद्धि पर निर्भर है।

(iv) विक्रेता उस प्रकार के माल का व्यापारी है।

परन्तु यदि विक्रय अनुबन्ध में ऐसी विक्रय वस्तु है जिसका व्यापारिक नाम (trade name) है तथा क्रेता द्वारा उस नाम से उस वस्तु को खरीदा जाता है तो.. को सावधानी (caveat emptor) का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

उदाहरण-अ नामक एक किसान बाजार से पम्प खरीदने गया। वह पम्प विक्रेता की दुकान पर पहुँचा तथा दुकानदार से कहा कि वह उसको ऐसा पम्प दे जो 50 फुट की गहराई से पानी खींच सके। यहाँ पर पम्प विक्रेता का कत्तव्य है कि वह किसान को ऐसा पम्प दे जो 50 फुट की गहराई से पानी खींच सके। यदि विक्रेता पम्प देता है जो 50 फुट गहराई से पानी नहीं खींच सकता है तब विक्रेता शर्त भंग मानी जायेगी और क्रेता पम्प लौटाकर रुपये वापस प्राप्त करने का चकारी है, परन्तु यदि क्रेता विक्रेता से कहता है कि मुझे 50 फुट गहराई से पानी : चना है अतः Rainbow पप दे दीजिए और दुकानदार क्रेता को Rainbow पम्प देता है यदि वह पम्प 50 फुट गहराई का पानी नहीं खींचता है तब इस बात के एक विक्रेता

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

उत्तरदायी नहीं है क्योंकि क्रेता ने एक विशेष व्यापारिक नाम का पम्प विक्रेता से माँगा था तथा उसने वह पम्प विक्रेता की कुशलता व बुद्धि पर नहीं ख़रीदा था।

उदाहरण -अ नामक व्यक्ति कैमिस्ट की दुकान पर जाता है और गर्म पानी बोतलें माँगता है। अ को बोतल के बारे में जानकारी नहीं थी। कैमिस्ट द्वारा बोतल. को दे दी जाती है। बोतल उसकी पत्नी के इस्तेमाल करते समय फट गयी और से उसकी पत्नी घायल हो गयी। यहाँ पर यह पाया गया कि कैमिस्ट ने जो तल अ को दी थी वह गर्म के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। अतः अ वादी मस्ट से हर्जाना पाने का अधिकारी है। (Priest Vs. Last) 1903, 2.K. B. 148.

(2) **व्यापार योग्य सम्बन्धी शर्तें** (Condition as to Merchantibility) के अनुसार, वर्णन द्वारा विक्रय की दशा में यह गर्भित शर्त है कि माल पार के योग्य हो, किन्तु यदि क्रेता ने निरीक्षण कर लिया है तो विक्रेता माल के दोष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसको क्रेता, निरीक्षण द्वारा पता लगा सकता था।

उदाहरण- अ नामक व्यक्ति व नामक दूध विक्रेता के पास गया और घर के के लिए दूध खरीदा दूध के बेचते समय दूध विक्रेता ने एक छपा हुआ कार्ड या जिस पर लिखा था कि दूध बीमारियों के कीटाणुओं से रहित है। दूध में तेरिया के कीटाणु थे। अतः अ की पत्नी दूध पीने के बाद बीमार हो गयी और मर दूध विक्रेता पर गर्भित शर्त है कि दूध इस प्रकार का होना चाहिए जो मनुष्यों

के उपयोग के लिए उपयुक्त हो जबकि वास्तव में दूध मनुष्य के सेवन योग्य नहीं था। अतः दूध विक्रेता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। (Frost Vs. Aylesbury Dairy Co.) 195, 1K. B.608.

(3) स्टोन जिंजर शराब को निरूपण (description) द्वारा विक्रय करता है औ वह बोतल खोलते समय कमी के कारण टूट जाती है जिससे खरीददार घायल ह जाता है। यहाँ पर विक्रेता पर गर्भित शर्त है कि वस्तु व्यापार योग्य होनी चाहिए अतः क्रेता हर्जाना पाने का अधिकारी है ।

सामान्यतया तो नियम यह है कि क्रेता को माल के क्रय करते समय पूर्ण सावधान रहना चाहिए और प्रत्येक प्रकार से अपने आपको सन्तुष्ट कर लेने पर ही माल खरीदना चाहिए। इस तरह बेचा गया माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी है अथवा नहीं उसके सम्बन्ध में कोई गर्भित प्रत्याभूति या शर्त नहीं होती किन्तु इस अधिनियम की धारा 16 इस सिद्धान्त के अपवाद के रूप में है और माल गुण या उपयुक्तता के सम्बन्ध में गर्भित प्रत्याभूति या शर्त का बखान करती है। साल के विक्रय अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, **(1)** जहाँ क्रेता, विक्रेता के निर्णय या कौशल पर विश्वास करता है और स्पष्ट या गर्भित रूप में उसे उस प्रयोजन से अवगत करा देता है जिस प्रयोजन के लिए यह माल खरीद रहा यह गर्भित प्रत्याभूति (warranty) या शर्त होगी कि माल उस प्रयोजन के सर्वथा उपयुक्त होगा। वहाँ

(2) इसी प्रकार, जहाँ माल विक्रेता से निरूपण द्वारा खरीदा गया हो और विक्रेता उस निरूपण के माल का व्यापारी हो तो वहाँ यह गर्भित प्रत्याभूति या शर्त कि माल व्यापारी योग्य गुण का होगा।।

लेकिन इन दोनों ही दशाओं के सम्बन्ध में दो अपवाद भी हैं जो निम्न प्रकार

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अपवाद (Exceptions) - (i) जहाँ कि बेचा जाने वाला माल किसी पेटेण्ट - के हैं व्यापारिक चिन्ह के अधीन है, वहाँ माल के गुण या उपयुक्तता के सम्बन्ध में को प्रत्याभूति या शर्त नहीं होगी।

यह अपवाद इस बात पर आधारित है कि किसी पेटेण्ट या व्यापार चिन्ह युक्ति माल के खरीदते वक्त क्रेता विक्रेता के निर्णय पर माल को नहीं खरीदता है बल्कि स्वयं अपने निर्णय पर भरोसा करके पेटेण्ट अथवा व्यापार चिन्ह युक्त माल को अप प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझते हुए खरीदता है। अतः यदि खरीदे जाने के ब माल क्रेता के प्रयोजन के अनुपयुक्त रहता है तो वह इस माल को लौटाकर विक्रे से उसका मूल्य वापस प्राप्त नहीं कर सकता।

(ii) जहाँ कि क्रेता ने माल की परीक्षा कर ली है, तो उन सभी विकारों सम्बन्ध में जो ऐसी परीक्षा से मालूम हो जाने चाहिए थे, माल के व्यापार योग्य सम्बन्ध में कोई भी गर्भित शर्त नहीं होगी।

यह अपवाद केवल माल के उन्हीं विकारों के सम्बन्ध में है जो उसकी परीक्षा प्रकट हो जाने वाले थे जो विकार सामान्यतया माल की परीक्षा में प्रकट होने वाले नहीं है उनके सम्बन्ध में यह अपवाद प्रभावकारी नहीं है। यह अपवादं क्रेता के कर्त्तव्य की ओर संकेत करता है कि उसका यह कर्तव्य है कि वह माल की यथोचित जाँच करे और उस जाँच से मालूम हो सकने वाले सभी दोषों को अपनी जानकारी में ले ले !

(B) कोई भी व्यक्ति अपने हक़ से ऊँचा अंतरित नहीं कर सकता ।

सामान्यतया यही नियम है कि एक विक्रेता क्रेता को वही स्वत्व प्रदान कर सकता है जो स्वत्व उसे स्वयं मालं में प्राप्त है। यदि माल के विक्रेता का माल के सम्बन्ध में स्वत्व (title) दूषित है तो क्रेता का भी उस माल में दूषित स्वत्व रहेगा। इसके विपरीत यदि विक्रेता का माल में स्वत्व है तो क्रेता का भी उस माल में अच्छा स्वत्व (good title) रहेगा। कहने का सार यह है कि क्रेता विक्रेता के अधिकारों के अनुरूप ही माल में अधिकारों को ग्रहण करता है। इस तरह यह (Nemo Dat Quod Non Habet) की मेक्जिम पर आधारित है जिसका अभिप्रा कि विक्रेता माल में अपने से अच्छा स्वत्व क्रेता को नहीं दे सकता।
लेकिन कुछ दशायें ऐसी हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता। ये दशाये इस नियम की अपवाद (exceptions) कहीं जा सकती हैं। ये अपवाद माल के कि अधिनियम की धारा 27 से 30 तक में वर्णित हैं। इन अपवादों में निर्दोष क्रेता (innocent purchaser) के हितों की रक्षा की गयी है। अपवादों में यह स्पष्ट किया गया है कि भले ही विक्रेता को माल में दूषित स्वत्व प्राप्त हो किन्तु जय क्रेता उस माल को खरीदता है तो वह उस माल में उससे अच्छा स्वत्व प्राप्त करता ये अपवाद निम्न प्रकार हैं

(1) अर्वरोध द्वारा स्वत्व (Title be estoppel) - जहाँ कि माल को बेचने स्वामी (owner) नहीं है और न ही उसे माल को बेचने हेतु माल के स्वामी की अ से अधिकार (authority) प्राप्त है परन्तु वह माल के क्रेता को यह विश्वास देता है कि वह माल का स्वामी है या यह विश्वास करा देता है कि उसे माल स्वामी की ओर से उस माल को बेचने का अधिकार प्राप्त है और ऐसा विश्व कराके उसे (क्रेता) को उस माल को खरीदने के लिए प्रेरित करता है तो इस उपरान्त माल को बेचने वाला यह नहीं कह सकता कि उसे माल के बेचने का क अधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरह से अवरोध द्वारा क्रेता को माल में अच्छा व (better title) प्राप्त हो जाता है। धारा 27 की विधि की उक्त व्यवस्था भारती . साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 पर आधारित है एवं Blackburn Jin Swan Vs Nath British Australian Co. a Lawrie Mone Wood Vs. John Dudin an Sons उक्त सिद्धान्त पर निर्धारित अच्छे वाद हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(2) व्यापारिक एजेन्ट द्वारा माल का विक्रय (Sale of Goods by Merchanti Ageni) - एक व्यापारिक एजेण्ट जो अपने स्वामी की सहमति से माल या माल स्वत्व के प्रलेख को अपने आधिपत्य में रखता हो यदि व्यापार के सामान्य काल कार्य करते हुए (acting in the ordinary course of his business) माल की को बिक्री करता है तो बिक्री उतनी ही मान्य होगी जैसे कि वह उस माल को बेचने लिए अपने स्वामी की ओर से स्पष्ट रूप से अधिकृत होता बशर्ते कि क्रेता सद्भाव से कार्य किया हो और उसे अनुबन्ध के समय तक इस बात को सूचना हो कि माल को बेचने वाले को माल के बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

(3) संयुक्त स्वामी के द्वारा विक्रय (Sale by a Co-owner) - धारा 27 अनुसार, यदि किसी माल के अनेक संयुक्त स्वामी हैं जिनमें से एक संयुक्त स्वाम अन्य की सहमति से माल को अपने अधिकार में रखता है और उस माल को बेच है तो ऐसे माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तान्तरित हो जायेगा बशर्ते कि सद्भाव कार्य किया गया हो और अनुबन्ध के समय तक उसे इस बात की सूचना न हो कि माल के बेचने वाले को अधिकार प्राप्त नहीं है।

(4) निरर्थक होने योग्य अनुबन्ध के अधीन आधिपत्य रखते हुए व्यक्ति के द्वारा विक्रय (Sale by a person in possession under voidable contract) - ऐस * व्यक्ति जो माल पर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 या 19 (क) के अधीन निरर्थक होने योग्य अनुबन्ध के अधीन उसका आधिपत्य रखता है यदि ऐसे माल को देता है तो क्रेता उस माल पर अच्छा स्वत्व प्राप्त करता है, बशर्ते कि उसने केता ने) सद्भाव से कार्य किया हो और उसे अनुबन्ध करते समय तक इस बात की सूचना न हो कि माल के विक्रेता के स्वत्व में त्रुटि है एवं इसके लिए यह भी आवश्यक है कि माल के विक्रय होने के समय तक वह निरर्थक होने योग्य अनुबन्ध द्द न हुआ हो। उदाहरण के लिए, अ मिथ्या वर्णन द्वारा ब को उसे (अ को) घोड़ा चने के लिए उत्प्रेरित करता है। ब घोड़ा बेच देता है। अ ब द्वारा अनुबन्ध रद्द किये जाने से पहले ही स को घोड़ा बेच देता है। यहाँ स घोड़े पर अच्छा स्वत्व प्राप्त करता है यदि उसने सद्भाव से कार्य किया है और उसे अ के दूषितः अधिकार का ज्ञान नहीं है।

(5) विक्रय के बाद आधिपत्य रखते हुए विक्रेता या क्रेता द्वारा बिक्री (Sale by a seller or buyer in possession after sale)- यदि किसी माल का विक्रेता माल के विक्रय के बाद भी माल या माल के स्वत्व के प्रलेख को अपने अधिकार में रखता है तो ऐसे विक्रेता या उसके व्यापारिक एजेण्ट के द्वारा माल का विक्रय वैध होगा, यदि क्रेता सद्भाव से कार्य करता है और उसे माल के पूर्व विक्रय (previous sale) का ज्ञान नहीं है। इस तरह से क्रेता माल में विक्रेता से अधिक अच्छा स्वत्व प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से यदि कोई क्रेता माल की सम्पत्ति के हस्तान्तरित होने से पहले ही विक्रेता की सहमति से माल को अपने आधिपत्य में रखता है और तदुपरान्त उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो वह अन्य व्यक्ति उस माल में अधिक अच्छा स्वत्व प्राप्त करता है यदि उसने सद्भाव से कार्य किया है और माल के सम्बन्ध में मूल विक्रेता के किसी पूर्वाधिकार या अन्य अधिकार के ज्ञान के बिना माल की सुपुर्दगी ली है।

Q2. निर्णीत वादों की सहायता से क्रेता सावधान के नियम के उपबंधों को समझाइये।

उत्तर व्यवहार में बहुधा माल के क्रय करते समय यही बात लागू होती है कि क्रेता को माल खरीदते समय पूर्ण सावधान रहना चाहिए। उसे उसके द्वारा खरीदे जाने वाले माल की उचित जाँच करनी चाहिए. उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकार से अपने आपको सन्तुष्ट करने के पश्चात् ही उसे क्रय करना चाहिए। विक्रेता का यह कर्त्तव्य नहीं होता है कि वह अपने माल के दोष को स्वयं ही क्रेता को प्रकट करे। यह तो क्रेता पर ही कार्य भार है कि वह माल की इस प्रकार की उचित जाँच करे कि वह माल के उस जाँच से प्रकट होने वाले प्रत्येक दोष को पकड़ ले। यदि वह माल की उचित जाँच नहीं करता है और बाद माल खरीदने पर उसमें कोई ऐसा दोष पाता है जो माल की उचित जाँच करने पर मालूम हो सकता था तो ऐसे दोष के सम्बन्ध में विक्रेता किसी भी

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

प्रकार से दायी न होगा क्योंकि उस दशा में यह माना जायेगा कि वह (क्रेता) माल के खरीदते समय सावधान नहीं था, जबकि उसे सावधान रहना चाहिए था और इस कारण सावधान न रहने की वजह से उसे माल के दोष के सम्बन्ध में हानि को स्वयं ही सहन (bear) करना होगा।

क्रेता की सावधानी का नियम पूर्ण रूप से उसी समय प्रभाव में था जबकि व्यापार अधिक विकसित (developed) नहीं था। वस्तुएँ आमतौर पर बाजार में खुली (open) बिकती थीं। क्रेता के पास पर्याप्त समय होता था और वह अपने प्रयोग (use) और आवश्यकता के अनुसार माल को उचित पाकर ही खरीदता था लेकिन जैसे-जैसे व्यापार और वाणिज्य (trade and commerce) का विकास होता गया. उसके साथ समय का अभाव बढ़ता गया। माल खुला बिकने के बजाय बन्द पैकेटो और लिफाफों में बिकने लगा। क्रेता अपने समय की कमी के कारण खरीदे जाने वाले माल के सम्बन्ध में विक्रेता के कौशल पर विश्वास करके माल को बिना जाँच ही खरीदने तो क्रेता के सावधानी नियम के अपवादों को बढ़ावा मिला। क्रेता की सावधानी के नियम के अपवाद अग्र प्रकार हैं जो माल विक्रय अधिनियम धारा में दिये गये हैं---

यदि माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए चाहिए तथा क्रेता ने वह उद्देश्य विक्रेता को स्पष्ट या गर्मित रूप से बता दिया है तथा क्रेता विक्रेता की कुशलता पर निर्भर करता है तथा वह विशिष्ट वस्तु विक्रेता के द्वारा बेची जाती है एक गर्मित (implied) शर्त होगी कि माल उसी उद्देश्य के लिए सही होगा

(i) केता को किसी विशेष उद्देश्य के लिए माल चाहिए।

(ii) क्रेता ने अपना उद्देश्य विक्रेता को बता दिया है।

(iii)केता माल के लिए विक्रेता के विवेक व बुद्धि पर निर्भर है।

(iv) विक्रेता उस प्रकार के माल का व्यापारी है।

यदि विक्रय अनुबन्ध में ऐसी विक्रय वस्तु है जिसका व्यापारिक नाम trade name) है तथा क्रेता द्वारा उस नाम से उस वस्तु को खरीदा जाता है तो सावधानी (caveat emptor) का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

उदाहरण-अ नामक एक किसान बाजार से पम्प खरीदने गया। वह पम्प विक्रेता हे दुकान पर पहुँचा तथा दुकानदार से कहा कि वह उसको ऐसा पम्प दें जो की गहराई से पानी खींच सके। यहाँ पर पम्प विक्रेता का कर्त्तव्य है कि वह को ऐसा पम्प दे जो 50 फुट की गहराई से पानी खींच सके। यदि विक्रेता वन्य देता है जो 50 फुट गहराई से पानी नहीं खींच सकता है तब विक्रेता शर्त भंग मानी जायेगी और क्रेता पम्प लौटाकर रुपये वापस प्राप्त करने का कारी है, परन्तु यदि क्रेता विक्रेता से कहता है कि मुझे 50 फुट गहराई से पानी : है अतः Rainbow पप दे दीजिए और दुकानदार क्रेता को Rainbow पम्प हता है यदि वह पम्प 50 फुट गहराई का पानी नहीं खींचता है तब इस बात के विक्रेता उत्तरदायी नहीं है क्योंकि क्रेता ने एक विशेष व्यापारिक नाम का पम्प जा से माँगा था तथा उसने वह पम्प विक्रेता की कुशलता व बुद्धि पर नहीं द था।

उदाहरण-अ नामक व्यक्ति कैमिस्ट की दुकान पर जाता है और गर्म पानी को माँगता है। अ को बोतल के बारे में जानकारी नहीं थी। कैमिस्ट द्वारा बोतल दे दी जाती है। बोतल उसकी पत्नी के इस्तेमाल करते समय फट गयी और उसकी पत्नी घायल हो

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

गयी। यहाँ पर यह पाया गया कि कैमिस्ट ने जो अ को दी थी वह गर्म के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। अतः अ वादी स्ट से हर्जाना पाने का अधिकारी है। (Priest Vs. Last). 1903, 2K. B. 148.

(2) व्यापार योग्य सम्बन्धी शर्तें (Condition as to Merchantibility) 16 (2) के अनुसार, वर्णन द्वारा विक्रय की दशा में यह गर्भित शर्त है कि माल के योग्य हो, किन्तु यदि क्रेता ने निरीक्षण कर लिया है तो विक्रेता माल के दोष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसको क्रेता, निरीक्षण द्वारा पता लगा हता था।

उदाहरण-अ नामक व्यक्ति ब नामक दूध विक्रेता के पास गया और घर के के लिए दूध खरीदा दूध के बेचते समय दूध विक्रेता ने एक छपा हुआ कार्ड रिया कीटाणु थे। अतः अ की पत्नी दूध पीने के बाद बीमार हो गयी और मर जिस पर लिखा था कि दूध बीमारियों के कीटाणुओं से रहित है। दूध में दूध विक्रेता पर गर्भित शर्त है कि दूध इस प्रकार का होना चाहिए जो मनुष्यों के उपयोग के लिए उपयुक्त हो जबकि वास्तव में दूध मनुष्य के सेवन योग्य था। अतः दूध विक्रेता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। (Frost Vs. Aylesby Dairy Co.) 195, 1 K. B. 608.

(**3) स्टोन जिंजर शराब को निरूपण** (description) द्वारा विक्रय करता है वह बोतल खोलते समय कमी के कारण टूट जाती है जिससे खरीददार घायल जाता है। यहाँ पर विक्रेता पर गर्भित शर्त है कि वस्तु व्यापार योग्य होनी चाहि अतः क्रेता हर्जाना पाने का अधिकारी है (Morelli Vs. Fitch & Gibbons) 1928 प्रश्न - माल के विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की गर्भित कौन-कौन-सी हैं ? उनका संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए।

जैसे कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि विक्रय अनुबन्ध किन निश्चित बन्धनों या वर्णनों के आधार पर गठित होते हैं। ये बन्धन या तो स्पष्ट सकते हैं या गर्भित हो सकते हैं। गर्भित वर्णन उस समय होते हैं जबकि अनुबन्ध तो वे स्पष्ट रूप से नहीं होते, परन्तु कानून उन अनुबन्धों में उनका होना स्वीकार करता है। माल के विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के गर्भित प्रतिब या शर्त धारा 14 से 17 तक में वर्णित है जिसका संक्षिप्त में विवरण निम प्रकार है

(1) स्वत्व आदि के सम्बन्ध में गर्भित प्रतिबन्ध (Implied Condition as th title etc.) — विक्रय अनुबन्ध में यह गर्भित प्रतिबन्ध निहित है कि विक्रेता को माल बेचने का अधिकार उस समय प्राप्त होगा जबकि सम्पत्ति हस्तान्तरित की जायेगी। यदि विक्रेता का ऐसा अधिकार दूषित है तो विक्रेता की ओर से प्रतिबन्ध कर भंग होना माना जायेगा और क्रेता को माल अस्वीकार करने और उसका मूल्य प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्धं में Rawland Vs. Divall 1923 9. K. B 500 का मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(2) निरूपण द्वारा विक्रय की दशा में गर्भित प्रतिबन्ध (Implied Condition to the case of Sale by Description) -जहाँ निरूपण द्वारा माल के बेचने क अनुबन्ध किया गया हो वहाँ यह गर्भित प्रतिबन्ध होगा कि माल निरूपण से मेल खायेगा अर्थात् उसके अनुकूल होगा। उदाहरणस्वरूप Varley Vs. Whipp का वा है जिसमें विक्रेता ने एक मशीन जिसे क्रेता ने देखा नहीं था. नई कहकर परन्तु क्रेता ने जब यह देखा कि मशीन बहुत अधिक पुरानी है तो उसने विक्रेता क दे दी। विक्रेता ने क्रेता को मूल्य के लिए वादित किया जिसमें कि वह असफल रह लेकिन जहाँ माल निरूपण और वानगी (sample) दोनों ही के द्वारा बेचा जाता वहाँ केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि माल बानगी से मेल खाता हो बल्कि, निरूपण और बानगी दोनों ही के अनुरूप होना चाहिए ।

(3) गुण या उपयुक्तता के सम्बन्ध में गर्भित प्रतिबन्ध (Implied Condition as अनुबन्ध का निर्माण | 21 quality or fitness) - केवल निम्न दशाओं में ही गाल में विक्रय अधिनियम के बन्धों के अधीन गुण या उपयुक्तता के सम्बन्ध में गर्भित प्रतिबन्ध हैं-

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -3**

(1) जहाँ कि क्रेता, विक्रेता के निर्णय या कौशल (judgernent or skill) पर वास करता है और स्पष्ट या गर्भित रूप में उसे उस प्रयोजन (purpose) से त (known) करा देता है जिस प्रयोजन के लिए वह माल खरीद रहा है।

(2) जहाँ माल विक्रेता से निरूपण द्वारा खरीदा जाता हो और विक्रेता उस के माल का व्यापारी हो वहाँ यह गर्भित प्रतिबन्ध है कि माल व्यापार योग्य (merchantable quality) का होगा।

(3) किसी खास प्रयोजन के लिए गुण या उपयुक्तता के सम्बन्ध में गर्मित व्यापार की रीति के अनुसार हो सकेंगे। (4) बानगी द्वारा विक्रय की दशाओं में गर्भित प्रतिबन्ध (Implied Condition in case of sale by sample) - जहाँ कि विक्रय अनुबन्ध नमूने द्वारा माल को के लिए किया गया है वहाँ यह गर्भित प्रतिबन्ध है कि सम्पूर्ण माल गुण में लगी या नमूने के अनुकूल होगा। क्रेता को कुल माल को बानगी के साथ मिलाने उचित समय मिलेंगा एवं माल में कोई भी ऐसा विकार न होगा जिससे वह पार योग्य किस्म का न हो और जो विकार बानगी की पर्याप्त जाँच कर लेने पर स्पष्ट न होता हो। प्रश्न क्रेता को सावधानी के सिद्धान्त के क्या अपवाद हैं ?

सामान्यतया तो नियम यह है कि क्रेता को माल के क्रय करते समय पूर्ण बावधान रहना चाहिए और प्रत्येक प्रकार से अपने आपको सन्तुष्ट कर लेने पर ही ल खरीदना चाहिए। इस तरह बेचा गया माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए योगी है अथवा नहीं उसके सम्बन्ध में कोई गर्भित या शर्त नहीं होती तु इस अधिनियम की धारा 16 इस सिद्धान्त के अपवाद के रूप में है और माल गुण या उपयुक्तता के सम्बन्ध में गर्भित प्रत्याभूति या शर्त का बखान करती है। के विक्रय अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, (1) जहाँ क्रेता, विक्रेता के गाय या कौशल पर विश्वास करता है और स्पष्ट या गर्भित रूप में उसे उस राजन से अवगत करा देता है जिस प्रयोजन के लिए यह माल खरीद रहा है, वहाँ गर्भित प्रत्याभूति (warranty) या शर्त होगी कि माल उस प्रयोजन के सर्वथा प्रयुक्त होगा। लेकिन इन दोनों ही दशाओं के सम्बन्ध में दो अपवाद भी हैं जो निम्न प्र के हैं)

अपवाद (Exceptions) - (i) जहाँ कि बेचा जाने वाला माल किसी पेटेण्ट व्यापारिक चिन्ह के अधीन है, वहाँ माल के गुण या उपयुक्तता के सम्बन्ध में क प्रत्याभूति या शर्त नहीं होगी।

अपवाद इस बात पर आधारित है कि किसी पेटेण्ट या व्यापार चिन्ह माल के खरीदते वक्त क्रेता विक्रेता के निर्णय पर माल को नहीं खरीदता है ब स्वयं अपने निर्णय पर भरोसा करके पेटेण्ट अथवा व्यापार चिन्ह युक्त माल की अ प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझते हुए खरीदता है। अतः यदि खरीदे जाने के ब माल क्रेता के प्रयोजन के अनुपयुक्त रहता है तो वह इस माल को लौटाकर वि से उसका मूल्य वापस प्राप्त नहीं कर सकता।

(ii) जहाँ कि क्रेता ने माल की परीक्षा कर ली है, तो उन सभी विकारों सम्बन्ध में जो ऐसी परीक्षा से मालूम हो जाने चाहिए थे, माल के व्यापार योग्य के सम्बन्ध में कोई भी गर्भित शर्त नहीं होगी।

यह अपवाद केवल माल के उन्हीं विकारों के सम्बन्ध में है जो उसकी परीक्षा जाने वाले थे जो विकार सामान्यतया माल की परीक्षा में प्रकट होने क प्रकट नहीं है उनके सम्बन्ध में यह अपवाद प्रभावकारी नहीं है। यह अपवाद क्रेता कर्त्तव्य की ओर संकेत करता है कि उसका यह कर्त्तव्य है कि वह माल की यथोि जाँच करे और उस जाँच से मालूम हो सकने वाले सभी दोषों को अपनी जानकारी में ले ले।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -3**

Q3. माल विक्रेता अधिनियम 1930 में गर्भित शर्ते और गर्भित अस्वासन कौन कौन से है ?

उत्तर- प्रत्येक विक्रय अनुबन्ध के समय विक्रेता अपने माल के बारे में कुछ बातें अवश्य कहता है या अपने आचरण द्वारा कुछ बातों को स्वीकार करता है तब विक्रेता के द्वारा कही गई यह बातें या स्वीकार की गयीं समस्त बातें विक्रय अनुबन्ध के लिए बन्धन (stipulation) कहलाती हैं। विक्रय अनुबन्ध के ये अनुबन्ध कुछ तो अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं तथा कुछ पहले वाले अनुबन्धों की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण होते हैं जो बन्धन अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं, शर्त कहलाते हैं तथा कम महत्त्वपूर्ण बन्धन आश्वासन कहलाते हैं ।

शर्त (Condition) – धारा (2) के अनुसार, शर्त एक ऐसा बन्धन है जो अनुबन्ध के मुख्य आशय के लिए अति महत्त्वपूर्ण है और जिसका खण्डन होने पर अनुबन्ध को त्याग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है अर्थात् वे बन्धन जिनके भंग होने पर अनुबन्ध भंग हो जाता है, शर्त कहलाते हैं
उदाहरण- अ और ब के बीच मटर खरीदने का अनुबन्ध होता है। यदि अब को मटर के स्थान पर अन्य वस्तु भेजता है तब अनुबन्ध समाप्त हो जायेगा ।

उदाहरण- क, ख को अपना घोड़ा बेचते समय कहता है कि मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तथा वह लगातार 100 कि० मी० तक दौड़ सकता है। क का यह कथन कि मेरा घोड़ा 100 कि० मी० दौड़ सकता है, शर्त होगा और ख इसी आधार पर घोड़ा खरीदता है क्योंकि 100 कि० मी० लगातार दौड़ना एक घोड़े का विशिष्ट गुण है जिसके आधार पर घोड़े की कीमत में वृद्धि व ख क्रेता के मन में घोड़ खरीदने की तीव्र इच्छा जाग्रत करता है। यदि अनुबन्ध के बाद ख को पता चलता है कि घोड़ा 50 कि० मी० चलने के पश्चात् ही बुरी तरह थक जाता है और फिर आगे नहीं चल सकता तब ख अपने अनुबन्ध को निरस्त कर सकता है ।

आश्वासन (Warranty) धारा 12 (3) के अनुसार, आश्वासन ऐसा बन्धन - जो अनुबन्ध के मुख्य आशय के लिए संपार्श्विक(collateral) है तथा जिसके है विखण्डन हो जाने पर अनुबन्ध समाप्त नहीं होता है बल्कि केवल क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार ही प्राप्त होता है अर्थात वे अनुबन्ध जिनके भंग होने पर क्रेता को केवल क्षतिपूर्ति की माँग का अधिकार होता है और जो वे अनुबन्ध का खण्डन नहीं कर सकते, आश्वासन कहलाते हैं।

उदाहरण-अ, ब से कहता है कि मेरा घोड़ा 40 कि० मी० प्रति घण्टा की रफ्तार से दौड़ता है। अनुबन्ध के बाद पता चलता है कि घोड़ा केवल 30 कि० मी प्रति घण्टा की रफ्तार से दौड़ता है ब केवल क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW